



पत्रांक : कु0स0-2 B स0 अ0/2852 /01-770- 2017/2018,

दिनांक : 11 जनवरी, 2018

पूर्वानुमति-आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन विश्वविद्यालय में गठित उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 24.02.2017 की संस्तुति एवं कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार श्री कृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रौना खुर्द, चोलापुर, वाराणसी को बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम (60 सीट्स) में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सत्र 2017-18 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है :-

1. संस्था द्वारा एक माह के अन्दर प्रपत्र बी में इंगित कमियों यथा-प्राभूत राशि कुलसचिव के नाम बंधक होने, प्रबंध समिति विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित होने, नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के अनुरूप महाविद्यालय भवन निर्माण होने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग या अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा जारी, पत्रांक एवं दिनांक सहित प्रमाण पत्र के साथ ही अनुमोदित प्राचार्य/प्रवक्ताओं की नियुक्ति, संविदा एवं का वेतन भुगतान का प्रमाण भी प्रस्तुत किया जायेगा।
2. निर्धारित अवधि में उपर्युक्त अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में यह पूर्वानुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
3. संस्था निरीक्षण आख्या में इंगित समस्त कमियों एवं सी0सी0आई0एम0/एम0सी0आई0 के सम्बन्धित सत्र के पाठ्यक्रम संचालन अनुमति पत्र संख्या- **R-12011/13/2013-EP(IM-1) for 2017-18** दिनांक 04.08.2017 में वर्णित शर्तों को अवश्य पूर्ण करेगी।
4. संस्था द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित अधिसूचना, 7 नवम्बर, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कालेज में प्रवेश के साधन/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. संस्था महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
7. शासनादेश सं0 883/सत्तर-1-2015 दिनांक 16 नवम्बर, 2015 के सम्बन्ध में भविष्य में यदि कोई विसंगति सक्षम प्राधिकारी स्तर अथवा माननीय न्यायालय के स्तर पर उत्पन्न होती है तो इस हेतु समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा।
8. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा सी0सी0आई0एम0/मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया के रेगुलेशन के निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही करायी जायेगी।

9. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
10. उपर्युक्त शर्तों का पालन किये जाने एवं भविष्य में सम्बन्धित निकाय द्वारा आगामी सत्र हेतु अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त तत्काल सम्बद्धता हेतु विश्वविद्यालय से अनुरोध किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाय।
11. महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा कमियों का निराकरण करते हुए एक माह के अन्दर इस आशय का एक सौ रूपये के स्टैम्प पेपर पर नोटरी एवं फोटोयुक्त शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि सम्बद्धता आदेश/पूर्वानुमति में शर्तों का पालन किया जायेगा एवं भविष्य में मानकों के विपरीत महाविद्यालय का संचालन पाये जाने व अभिलेखों की अप्रमाणिकता प्रकाश में आने पर यह अनुमति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा० कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
 2. प्रबंधक, श्री कृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, रौना खुर्द, चोलापुर, वाराणसी को पूर्वानुमति आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
 3. अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
 4. विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
 5. सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग, ए-रेडक्रास रोड, नई दिल्ली।
 6. सचिव, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, 61-65 इन्स्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली।
 7. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
 8. निदेशक, आयुर्वेद सेवाएं, उ०प्र० लखनऊ।
 9. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
- 10- सहायक कुलसचिव परीक्षा।

कुलसचिव